

22-3-2022 प्रार्थी उपाख्येत | पेशकार सरकार उपस्थित।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन
किया कि प्रार्थी उक्त प्रकार को अंगे
चलाना नहीं चाहते हैं अतः प्रार्थी के
प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर प्रार्थी का
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251(6) RTI
जरिये विद्युत शरीज किया जाता है
पञ्जावली फैसल नुमाय होकर नम्बर से
कम से भारतकमील जावता दाखिल
दफ्तर है।

प्रार्थी


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी